8/20

TWO RUPEES FOR COPYING FEES ONLY

ONE RUPEE FOR COPYING FEES ONLY

प्रतिलिपि आदेश दिनांक
13/06/2008 पारित द्वारा
न्यायालय परगनाधिकारी
लालगंज वाद सं. 21 अन्तर्गत
धारा 143 ज.वि.अधि. ग्राम
[illegible] म. [illegible] नं. 1 जिला लालगंज [illegible]
श्री कनीज [illegible] [illegible] रायबरेली उ.प्र. तारीख
दरख्वास्त 11/3/08 तारीख फैसला 13/6/08।
प्रतिलिपि अभिलेखागार (तहसील) [illegible]
लालगंज के आदेश की प्रति

फरीक

श्री कनीज [illegible] —————— वादी

बनाम

सरकार उ.प्र. —————— प्रतिवादी

(2)

न्यायालय परगनाधिकारी/ असिस्टेन्ट कलेक्टर, प्रथम श्रेणी, सीतापुर।

वाद सं0 : 21

अन्तर्गत धारा 143 ज0वि0 एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम
ग्राम : रस्यौरा परगना : खैराबाद
तहसील:सीतापुर जिला :सीतापुर।

रफी कन्नौज मेमोरियल एजुकेशन सोसायटी
द्वारा अध्यक्ष एम0 एम0चौधरी पुत्र स्व0 एस0 एम0 रफी

बनाम

सरकार उ0प्र0

आदेश

प्रार्थी एम0 एम0 चौधरी पुत्र स्व0 एस0 एम0 रफी निवासी 84 स्टेशन रोड सीतापुर अध्यक्ष रफी कन्नौज मेमोरियल एजुकेशन सोसायटी द्वारा उ0 प्र0 ज0 वि0 एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 143 के अन्तर्गत इस आशय का प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया है कि गाटा सं0 पर प्रार्थी 478 मि रकबा 8.00 एकड़ व 479 मि रकबा 1.38 एकड़ स्थित ग्राम रस्यौरा पर कृषी कार्य नहीं किया जाता है। इस भूमि पर विद्यालय बना हुआ है तथा इस भूमि पर 50 कमरे बने हुए हैं। भवन के अतिरिक्त भूमि पर बच्चों के लिए खेल कूद के मैदान के रूप में इस्तेमाल की जाती है। विद्यालय का मानचित्र भी नियत प्राधिकारी से पास किया जा चुका है। अतः उपरोक्त भूमि को कृषी प्रयोजन से हटाकर अकृषिक घोषित किया जाय।

प्रार्थना–पत्र प्राप्त होने पर तहसीलदार सीतापुर से जाँच आख्या मँगाई गयी। आख्या प्राप्त होने के बाद वाद दर्ज रजिस्टर किया गया तथा नोटिस जारी की गयी, जो बाद तामील संलग्न पत्रावली है। तहसीलदार सीतापुर द्वारा प्रेषित क्षेत्रिय लेखपाल की आख्या में कहा गया है कि भूमि गाटा सं0 478मि/ 3.20एकड़, 478मि/ 0.80एकड़, 478 मि/ 2.80 एकड़, 478मि/ 1.20एकड़, 479 मि0 / 1.38 एकड़ स्थित ग्राम रस्यौरा पर कृषी, पशुपालन, मत्स्य पालन व कुक्कुट पालन नहीं किया जाता है। भूमि पर विद्यालय बना हुआ हैं।

मैंने पत्रावली पर उपलब्ध प्रार्थना–पत्र, शपथ पत्र, प्रतिलिपि खतौनी वर्ष 1407–1412फसली बाबत गाटा सं0 478मि/ 8.00 एकड़, जाँच आख्या एवं प्रारूप धारा 143 नियम 135/ 138 का भली भाँति अवलोकन किया जिससे स्पष्ट है कि प्रश्नगत भूमि प्रार्थी / आवेदक के नाम संक्रमणीय भूमिधर के रूप में दर्ज है। मौके पर उक्त भूमि पर विद्यालय बना है। कृषी कार्य नहीं होता है। क्षेत्रिय लेखपाल के अनुसार भूमि पर बाउन्ड्री बनी है। मौके पर कोई विवाद नहीं है। विद्यालय बना है। जिला शासकीय अधिवक्ता से भी विधिक राय प्राप्त की गयी। उनके द्वारा भी भूमि को अकृषिक घोषित करने की राय दी गयी है। राय संलग्न पत्रावली है। ऐसी दशा में उक्त भूमि को अकृषित घोषित किये जाने में कोई विधिक बाधा प्रतीत नहीं होती है। कृषी भूमि का भू–उपयोग स्थानिक रूप से

(3)

परिवर्तन ज0 वि0 एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम के प्राविधानों के अन्तर्गत किया जा रहा है, जैसा कि महानिरीक्षक निबन्धन के पत्र सं0 937/ वि0 का0 लखनऊ/ 03 दिनांक 02.05.2003 के क्रम में जारी परिषदादेश सं0 8154/ 5–49 ए/ 03 दिनांक 25 जनवरी 2004 द्वारा भी भू उपयोग का परिवर्तन तदनु खसरे एवं अभिलेखों में वर्तमान एवं वास्तविक स्थिति को दर्शाने के सम्बन्ध में निर्देश दिये गये हैं। तदनुसार प्रश्नगत भूमि अकृषिक घोषित किये जाने योग्य है।

अतः तहसीलदार सीतापुर द्वारा प्रेषित क्षेत्रीय लेखपाल की आख्या से सहमत होते हुए एतद्द्वारा निम्नलिखित भूमि अकृषिक घोषित की जाती है। तदनुसार भू-राजस्व अभिलेखों में इन्द्राज किया जाये।

क्र0 सं0	ग्राम का नाम	भूमिधर का नाम व पता	खाता सं0	गाटा सं0	रकबा	मालगुजारी	अकृषिक गाटा0 सं0 / क्षेत्रफल	अकृषिक घोषित भूमि का प्रयोजन	मालगुजारी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	रस्यौरा	रफी कनीज मेमोरियल एजुकेशन सोसायटी द्वारा अध्यक्ष एम0 एफ0 जैदी पुत्र स्व0 एस0 एम0 रफी निवासी 64 स्टेशन रोड सीतापुर	72 123	478 मि 479	7.301 है 1.676 है		478मि/ 8.00 एकड़ 479/ 1.38 एकड़	अकृषिक शिक्षण संस्थान हेतु	

आवश्यक कार्यवाही के उपरान्त पत्रावली दाखिल दफ्तर की जावे।

दिनांक : 13/6/05

(देवेन्द्र कुमार पाण्डेय)
परगनाधिकारी/ सहा0 कलेक्टर, प्रथम श्रेणी
सीतापुर।

प्रतिलिपि उपनियन्त्रक तहसील सीतापुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(देवेन्द्र कुमार पाण्डेय)
परगनाधिकारी/ सहा0 कलेक्टर, प्रथम श्रेणी
सीतापुर।

11/12/05

2363
Date of Application 3/10/13
Date of Preparation
Value of Stamp
No. of Words
Date of Delivery
Prepared by
Compared by
Examined by

3-10-13

प्रतिलिपिकार (सदर)
कलेक्ट्रेट–सीतापुर
क्र0 3110/13